राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2934/2024

डॉ. कौस्तुभ सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2024
आदेश की दिनांक : 24.09.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आदेश दिनांक 11.09.2024 द्वारा निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं ने प्रत्यर्थी विभाग के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी 27.09.2024 तक अपग्रेड करने के निर्देश दिए थे और उसी के अनुसरण में अपीलार्थी ने राज. हेल्थ पोर्टल पर अपना सेवा विवरण अपग्रेड किया और राज. हेल्थ में अपीलार्थी द्वारा अपलोड किए गए कर्मचारी विवरण के अनुसार, अपीलार्थी ने दिनांक 25.03.2015 को कार्यग्रहण किया और उसे 24.03.2016 से नियमित दर्जा दिया गया और उसने 11.10.2019 को श्री हरि देवी जोशी अस्पताल डूंगरपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और उसे 5400/– रुपये का ग्रेड–पे मिल रहा है (अनुलग्नक–1 एवं 2)। डीएसीपी योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर पदोन्नति की जानी है और संबंधित उम्मीदवारों को आदेश दिनांक 10.09.2024 के अनुसार निर्देशित को ई–मेल के माध्यम से बच्चों से संबंधित जानकारी और सेवा विवरण देना आवश्यक था। अपीलार्थी वर्ष 2021 में छह साल की सेवा पूरी की है और उसके पास एमबीबीएस प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन पैथोलॉजी की योग्यता है, इसलिए, वर्ष 2021 में उसकी पदोन्नति होनी चाहिए। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 10.09.2024 के अनुसरण में 11.09.2024 को बच्चे से संबंधित शपथ पत्र दिया

(अनुलग्नक–3 एवं 4)। अपीलार्थी की नियुक्ति 25.03.2015 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 31.03.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा दिनांक 24.03.2016 से नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 07.05.2016 से 06.05.2019 तक अध्ययन अवकाश का लाभ दिए जाने के लिए दिनांक 21.10.2019 (अनुलग्नक–6) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन अध्ययन अवकाश का लाभ देने के बजाय उसे दिनांक 14.09.2020 के ज्ञापन के अनुसार सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी और माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.06.2021 के आदेश के तहत आरोप पत्र की कार्यवाही पर रोक लगा दी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीएसीपी के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया संचालित की जा रही थी, लेकिन पीजी कोर्स पूरा करने के लिए अपीलार्थी की तीन साल की अवधि की गणना नहीं करने के कारण, अपीलार्थी को वर्ष 2021 में जूनियर स्पेशलिस्ट के रूप में पदोन्नति नहीं दी गई थी। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12.06.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पक्ष में तीन साल तक उच्च अध्ययन करने के लिए स्वीकृत असाधारण छुट्टी को डीएसीपी का लाभ देने के लिए गिना जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.07. 2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विभिन्न विभागों को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है तथा वर्ष 2024–2025 तक विभिन्न संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया। दिनांक 02.09.2024 को प्रत्यर्थी विभाग ने 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की है, जिसमें आरपीएससी के माध्यम से चयन के अनुसार वरिष्ठता दी गई है। अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 1364 पर है तथा आरपीएससी के माध्यम से उसकी चयन तिथि 25.03.2015 अंकित है। राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1963 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी का ग्रेड–पे 5400/– है तथा चिकित्सा अधिकारी 5400/– रुपए के ग्रेड–पे या नियमों सहित अनुसूची परिशिष्ट संख्या 1 के कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित समतुल्य विद्यमान वेतनमान में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 6600/– रुपए के ग्रेड–पे में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यदि एमबीबीएस) या कनिष्ठ विशेषज्ञ (यदि एमबीबीएस + स्नातकोत्तर) के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार होगा तथा उसके बाद एसएमओ के रूप में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उप निदेशक (यदि एमबीबीएस) के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार होगा तथा यदि उम्मीदवार के पास एमबीबीएस + स्नातकोत्तर योग्यता है तो उसके बाद वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड–पे 7600/– रुपए तथा उसके बाद अगली पदोन्नति चैनल मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफिसर (एमबीबीएस (एमबीबीएस) . प्रिंसिपल या चीफ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएशन) 8700/– रुपये के ग्रेड–पे में पदोन्नति का हकदार होगा (अनुलग्नक–9)।

कार्मिक विभाग ने अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 (अनुलग्नक–10) द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में कुछ संशोधन किया है, जिन्हें राजस्थान विविध सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है और अनुसूचित जाति के कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित नियम के विद्यमान अंतिम परंतुक के बाद, नया परंतुक जोड़ा गया है और प्रावधान है कि यदि वर्ष 2024–2025 के लिए निचले पद पर निर्धारित अनुभव या सेवा के अनुभव या दोनों के अभाव में रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता है, तो अनुभव में दो वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 का भी उल्लेख किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी के पक्ष में नियत वर्ष यानी 2021 से कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलॉजी) के पद पर पदोन्नति का लाभ दें और छह साल की ग्रेड–पे 6600/– रुपये पूरी करने पर अपीलार्थी को वरिष्ठ विशेषज्ञ (ग्रेड–पे 7600/– रुपये) के रूप में पदोन्नत किया जाए और उसके बाद, अपीलार्थी को ग्रेड पे 7600/– रुपये में छह साल की सेवा पूरी करने पर प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट (ग्रेड–पे 8700/– रुपये) के पद पर पदोन्नत किया जाए तथा डीएसीपी सहित सभी सेवा लाभों के उद्देश्य से अपीलार्थी द्वारा अपने पीजी कोर्स यानी एमडी पैथोलॉजी में बिताए गए समय को गिनें। प्रत्यर्थी विभाग को नियत तारीख से पदोन्नति के परिणामस्वरूप सभी परिणामी लाभ देने का भी निर्देश दिया जाए।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और

ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य